सिफारिशों का सार

लेखापरीक्षित आईटीडी प्रणाली के दक्ष एवं प्रभावी प्रबन्धन के सन्दर्भ में

(पैराग्राफ 2.2 से 2.82)

1. कर आधार के विस्तार हेतु पर्याप्त रूप से प्रयुक्त डाटाबेस का प्रयोग।

2. विभिन्न मोडयूल्स में कर भुगतान ब्यौरे अधिक विश्वसनीय रूप से लिंक किया जाए।

3. एक ही चालान हेतु बहु गलत क्रेडिटों के प्रति पर्याप्त प्रणाली जाँच उपलब्ध कराया जाए।

4. कम्प्यूटरीकरण पहलों के इष्टतम लाभों को प्राप्त करने के लिए सभी संव्यवहारों के व्यापक अभिलेख रखना सुनिश्चित किया जाए।

5. सार प्रक्रियाकरण के लिए प्रणाली में निर्धारणों के लीगेसी मुद्दों को दर्शाया जाए, और अनवशोषित मूल्यहास के सम्बन्ध में बेसिक लिंकेज, हानियों का अग्रनेयन इत्यादि सुनिश्चित किया जाए।

6. पश्च संव्यवहार घटनाओं के रूप में संवीक्षा निर्धारणों के परिणामों को अभिलेखित किया जाए।

7. बैंकों द्वारा अपलोड किए गए डाटा के सम्बन्ध में 90 प्रतिशत डाटा शुद्धता का एनएसडीएल दावा आईटीडी प्रमाण के साथ मिलान किया जाए कि चालान डाटा की खराब गुणवत्ता के कारण इरला में दर्ज नहीं किए जा सकते हैं।

8. कर संग्रहण एवं रिपोर्टिंग का चेन सुदृढ़ किया जाए।

9. लिंकेज आईटी मोडयूल्स में अर्थात् ओल्टास, एएसटी, ई-टीडीएस और इरला को सुदृढ़ किया जाए।

10. इरला में सूचना पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो।

11. टीडीएस विवरणियों में दावा की गई निम्नतर कटौती/कोई कटौती नहीं की शुद्धता ईटीडीएस एप्लिकेशन के माध्यम से सत्यापित किया जाए।

आउटसोर्सिंग एवं वेन्डर प्रबन्धन के सन्दर्भ में

(पैराग्राफ 3.1 से 3.30)

12. वेन्डर निष्पादन मानीटर किया जाए और ठेकागत बाध्यता लागू की जाए।

13. कारबार उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आउटसोर्स किए गए कार्यकलापों को आवधिक रूप से मानीटर किया जाए।

14. सुरक्षा लेखापरीक्षा से सम्बन्धित शर्तों को लागू किया जाए।

15. सूचना की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटाइजेशन के लिए ठेकों में व्यापक प्रावधान किए जाए।

16. व्यापक पासवर्ड, फिजिकल एवं लाजिकल असेस कन्ट्रोल सुनिश्चित किया जाए।